भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5629** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 27 मार्च, 2026/06 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है

पत्तन प्रदूषण नियंत्रण तंत्र

†5629. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कार्गो हैंडलिंग, शिप बर्थिंग, ड्रेजिंग, कोयले जैसे भारी कार्गो के भंडारण और बड़े तथा छोटे पत्तनों के भीतर और उनके आस-पास भारी वाहनों की आवाजाही से होने वाले उत्सर्जन सहित पत्तन-प्रचालनों से उत्पन्न होने वाले वायु, जल और तटीय प्रदूषण का एक व्यापक मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या पत्तनों पर वर्तमान में लागू अनिवार्य पर्यावरणीय अनुपालन मानकों में धूल को कम करने संबंधी प्रणालियों, संलग्न कन्वेयर तंत्र, बैलास्ट जल और तैलीय अपशिष्ट का उपचार, ड्रेजिंग डिस्चार्ज का नियंत्रण और वायु और जल गुणवत्ता की निरंतर निगरानी शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी पत्तनों के लिए स्वतंत्र पर्यावरणीय लेखापरीक्षा और वास्तविक-समय प्रदूषण निगरानी प्रणाली अनिवार्य है और क्या ऐसे आंकड़े सार्वजनिक रूप से सुलभ हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुपालन न करने पर दंड सहित पत्तनों के लिए एक समान राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रचालन प्रोटोकॉल लागू करने का है, और

(ङ) पत्तन से संबंधित प्रदूषण के कारण आस-पास के निवासियों और समुद्री जैव-विविधता पर पड़ने वाले स्वास्थ्य और पारिस्थितिकीय प्रभावों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) पत्तनों पर वायु और जल की गुणवत्ता की समय-समय पर निगरानी करते हैं और नियमित पर्यावरणीय लेखापरीक्षाएं संचालित करते हैं। सभी पत्तन इंटरनेशनल कन्वेंशन फोर दी प्रीवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रोम शिप्स (एमएआरपीओएल) का पालन करते हैं और इसलिए, पर्यावरण संबंधी सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से

अनुपालन करते हैं। इसके अलावा, महापत्तनों द्वारा परियोजना-विशिष्ट पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त की जाती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्तन परियोजनाओं को दी जाने वाली पर्यावरणीय स्वीकृतियों में पर्यावरण संरक्षण और निगरानी से संबंधित विशिष्ट नियम और शर्तें निर्धारित होती हैं। ये शर्तें परियोजना के निर्माण और संचालन, दोनों चरणों के दौरान लागू होती हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र पर्यावरण लेखा परीक्षा और वास्तविक-समय पर आवधिक निगरानी अधिदेशित है। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मापदंडों से संबंधित सभी डाटा नियामक प्राधिकरणों को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 में पत्तनों पर पर्यावरणीय पहलुओं के विनियमन के लिए एक ढांचे का उपबंध है, जिसमें प्रदूषण रोकथाम, पत्तन अपशिष्ट प्राप्ति और हैंडलिंग सुविधाओं की तैयारी से संबंधित दायित्व शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पत्तनों पर पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए "हरित सागर" - ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और स्वच्छ ईंधन और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं।

स्वास्थ्य और पारिस्थितिक प्रभावों को कम करने के उपायों में परियोजना-विशिष्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) मूल्यांकन, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड)/द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) निकासी, धूल नियंत्रण और धूलयुक्त पदार्थों के लिए ढके हुए कार्गो हैंडलिंग, नियमित वायु और जल गुणवत्ता निगरानी, पर्यावरण के अनुकूल ड्रेजिंग और निपटान, पोत से उत्पन्न अपशिष्ट के लिए सुविधाएं, बल्लास्ट जल अनुपालन, प्रकटीकरण सहित आवधिक पर्यावरण लेखापरीक्षा आदि शामिल हैं। उत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तनों पर कोयले की कवर हैंडलिंग, मशीनीकृत धूल नियंत्रण आदि जैसे उपशमन उपाय भी किए जाते हैं।
